न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 04/2026 (अपील)
जी.सी.एम.एस न.– 2026/21

उनवान

रामदयाल पुत्र मथुरालाल जाति नायक निवासी काठोन, तहसील कनवास जिला कोटा(राज0)

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री अश्विनी कुमार मालव (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. सरकार पेरोकार

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी आदेश दिनांक 28.10.2025
न्यायालय तहसीलदार, कनवास जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 24/5/2026

1– अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश विधि, न्याय एंव संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

2– अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

3– अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का अपील बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक **28.10.2025** में अपीलाण्ट को समुचित सूचना एवं नोटिस प्रदान किये बिना ही ग्राम **मोरियाहेडी** तहसील **कनवास** में स्थित आराजी ख0न0 **15** रकबा **0.30** हैक्टर **गैर मु0 रास्ता** भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना मानकर वार्षिक लगान 3.00 का 50 गुना जुर्माना एवं 30 दिवस का सिविल कारावास

अति० जिला कलक्टर
कोटा

की सजा से दण्डित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है। विवादित आराजीयात पर अपीलाण्ट ने पचाश्तवर्ती अतिक्रमण नही किया गया ना ही पूर्व में उसे बेदखल किया गया है। अपीलान्ट शांतप्रिय व्यक्ति है जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। विवादित आराजीयात् पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नही है पूर्व में ही कब्जा छोड चुका है जिससें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश को निरस्त किया जाना आवश्यक् है।

4— रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अभिभाषक का बहस में कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा **गैर मु.रास्ता** की भूमि पर अतिक्रमण करने पर उसे बेदखल किया गया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

5— विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट अप्रार्थी का बहस अपील में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक **28.10.2025** में अपीलाण्ट को समुचित सूचना एवं नोटिस प्रदान किये बिना ही ग्राम **मोरियाहेडी** तहसील **कनवास** में स्थित आराजी ख0न0 **15** रकबा **0.30** हैक्टर **गैर मु0 रास्ता** भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना मानकर वार्षिक लगान 3. 00 का 50 गुना जुर्माना एवं 30 दिवस का सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है। विवादित आराजीयात पर अपीलाण्ट ने पचाश्तवर्ती अतिक्रमण नही किया गया ना ही पूर्व में उसे बेदखल किया गया है। अपीलान्ट शांतप्रिय व्यक्ति है जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। विवादित आराजीयात् पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नही है पूर्व में ही कब्जा छोड चुका है जिससें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश को निरस्त किया जाना आवश्यक् है।

रेस्पोडेण्ट अप्रार्थी की ओर से उपस्थित राजकीय अभिभाषक का बहस में कथन रहा है कि "अपीलाण्ट द्वारा **गैर मु.रास्ता** भूमि पर अतिक्रमण करने पर उसे पूर्व में बेदखल किया गया है। इसके बावजूद अप्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है।" उभय पक्ष की ओर से बहस में किये गये उक्त कथन, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जेर अपील एंव पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुऐ अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

6— अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम **मोरियाहेडी** तहसील **कनवास** में स्थित आराजी ख0न0 **15** रकबा **0.30** हैक्टर **गैर मु0 रास्ता भूमि** पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के आरोप में दिये गये सिविल कारावास की सजा के आदेश को दो माह के लिऐ इस शर्त के साथ स्थगित कि जाती है कि तहसीलदार कनवास स्वंय मौके जाकर यह सुनिश्चित करेगे कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम **मोरियाहेडी** तहसील **कनवास** में स्थित आराजी ख0न0 **15** रकबा **0.30** हैक्टर **गैर मु0 रास्ता भूमि** पर अतिक्रमण है या नही। उपरोक्त अतिक्रमित आराजी से वास्तविक रूप से मोके से कब्जा हटा लिया

अति० जिला कलक्टर
कोटा

गया है, एंव भविष्य में पुनः अतिक्रमण नहीं करेगा। तहसीलदार कनवास द्वारा मौका पर जाकर पुष्टि में सही प्रमाणित पाये जाने पर ही निर्णय जैर अपील से अपीलाण्ट अप्रार्थी को दी गई सजा निरस्त होगी, अधीनस्थ न्यायालय का शेष आदेश यथावत रहेगा।

8— निर्णय आज दिनांक 25/5/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ★ कोटा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा

अति. जिला कलक्टर
कोटा